संख्या : 55/2015/1007/छप्पन-2015-94/2013 टी0सी0-ए

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 जुलाई, 2015

विषय :नये क्रय किये जा रहे वायुयान सुपर किंग एयर-बी-250 (माडल बी-200जी0टी0) के **Technical Acceptance** के लिए गठित उच्चस्तरीय दल के सदस्य/संयोजक श्री देवेन्द्र स्वरूप, निदेशक, नागरिक उड्डयन की यू0एस0ए0 यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 324/ना0उ0वि0/ईजी0/पी-4/2015, दिनांक 22-6-2015 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें निर्माता कम्पनी बीच क्राफ्ट टेक्सट्रान एवियेशन की विचिटा केन्सास, यू0एस0ए0 स्थित फैक्ट्री में जाकर वायुयान सुपर किंग एयर-बी-250 (माडल बी-200जी0टी0) के टेक्निकल एक्सेप्टेन्स/डिलीवरी हेतु गठित उच्चस्तरीय दल, की अध्यक्ष, श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव/महानिदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 एवं सदस्य/संयोजक श्री देवेन्द्र स्वरूप, निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को दिनांक 30-7-2015 से दिनांक 08-8-2015 की अवधि में (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) निर्माता कम्पनी की फैक्टी में जाकर वायुयान के टेक्निकल एक्सेप्टेन्स/डिलेवरी हेतु विदेश यात्रा की अनुमति आदि बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उच्च स्तरीय दल की अध्यक्ष श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन/महानिदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 की विदेश यात्रा की अनुमति नियुक्ति अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन के संलग्न शासनादेश संख्या- 1008/दो-8-2015-33/एफ बी एस टी(26)/2015, दिनांक 26.6.2015 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। उच्च स्तरीय दल के सदस्य संयोजक श्री देवेन्द्र स्वरूप, निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को प्रस्तावित अवधि दिनांक 30.7.2015 से दिनांक 08.8.2015 के मध्य यू0एस0ए0 जाने के लिये श्री राज्यपाल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 में विदेश यात्रा की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उपर्युक्त विदेश यात्रा की अवधि में श्री देवेन्द्र स्वरूप, निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-दो से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश यात्रा आदि के लिये न भेजा जाता।

(2) विदेश यात्रा से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अधिकारी को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जायेगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय विदेश यात्रा काल का अंश माना जायेगा।

(3) इंगित अधिकारी को भारत से यू0एस0ए0 एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा ।

(4) इंगित अधिकारी को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डे तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।

(5) विदेश में किये गये अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता एवं होटल किराया नियमानुसार अनुमन्य दरों पर देय होगा।

(6) विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जायेगा। आहरित धनराशि के अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) विदेश यात्राओं हेतु स्वीकृत अग्रिम धनराशि के समायोजन का प्रमाण-पत्र शासन को भी प्रेषित किया जाय।

2- उक्त विदेश यात्रा पर संनिहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक - यथोक्त।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 55/2015/1007(1)//छप्पन-2015-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 को प्रमुख सचिव के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ।
5- महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियुक्ति अनुभाग-8 को उनके पत्र संख्या- 1008/दो-8-2015-33/एफ बी एस टी(26)/2015, दिनांक 26.6.2015 के संदर्भ में।
9- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालयण्/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।